

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ जिला भीलवाडा(राज0)

प्रकरण संख्या 104/2017 1419

~~राजेंद्र सिंह पिता मोहन सिंह राजपूर निवासी बीकानेर~~
बनाम

- ① राजेंद्र सिंह पिता रतु सिंह राजपूर निवासी बीकानेर
 - ② गुमान सिंह पिता उगम सिंह राजपूर निवासी बीकानेर
 - ③ अमर सिंह पिता कल्याण सिंह राजपूर निवासी बीकानेर
- तह0 माण्डलगढ — विपक्षी गण

प्रार्थनापत्र-अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0

- आदेश :-

दिनांक 25/5/17

प्रार्थनापत्र प्रार्थीश्री ~~राजेंद्र सिंह पिता मोहन सिंह~~ ने जरिये अभिभाषक श्री ~~विनोद कुमार मारु~~ ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम ~~बीकानेर~~ तह0 ~~बीकानेर~~ तह0 माण्डलगढ में आराजीन0

~~588, 589, 599, 600. किला- 4~~

किता 4 रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा भूमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा फिसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया, प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2071-2075 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार/ ~~पैखातेदार~~ काश्तकार है। पडौसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0क्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम ~~बीकानेर~~ की आराजी न0 ~~588, 589, 599, 600 किला- 4~~

रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा — की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी किये जाने के आदश दिये जाते हैं। भू-अभिलेख निरीक्षक को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 450/- रुपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। एवं पत्थरगढी की शुल्क राशि 100/- रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार, माण्डलगढ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

2